वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 32

आर्थिक कार्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		501.00	1658.66	2159.66	426.46	1554.13	1980.59	815.81	1776.91	2592.72
पूंजी		*1400.00*	*142.76*	*1542.76*	*250.00*	*271.70*	*521.70*	*1400.00*	*255.00*	*1655.00*
जोड़		**1901.00**	**1801.42**	**3702.42**	**676.46**	**1825.83**	**2502.29**	**2215.81**	**2031.91**	**4247.72**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	39.96	39.96	...	61.89	61.89	...	66.05	66.05
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
2. राष्ट्रीय बचत संगठन	2047	...	12.98	12.98	...	12.61	12.61	...	12.98	12.98
3. अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत जमा रकम पर ब्याज	2047	...	2.00	2.00	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा न्यास के आर्थिक सहायता लेखे में अंशदान	2047	...	4.55	4.55	...	4.64	4.64	...	4.60	4.60
5. अन्य व्यय	2047	...	7.83	7.83	...	7.45	7.45	...	4.63	4.63
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
6. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण	2070	...	1.67	1.67	...	1.54	1.54	...	1.91	1.91
7. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	2070	...	7.13	7.13	...	5.89	5.89	...	6.65	6.65
8. ऋण वसूली न्यायाधिकरण	2070	...	19.20	19.20	...	18.34	18.34	...	20.45	20.45
9. बारहवां वेतन आयोग	2070	...	6.45	6.45	...	5.98	5.98	...	...	...
10. बीमा विकास और विनियामक प्राधिकरण को सहायता अनुदान	2070	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
11. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान	2070	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	3.00	3.00
12. अन्य व्यय	2070	...	1.75	1.75	...	2.50	2.50	...	2.00	2.00
13. राष्ट्रीय बचत संगठन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का कार्यान्वयन	2070	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
विविध सामान्य सेवाएं										
14. अन्य कार्यक्रम	2075	...	0.02	0.02	1.96	0.42	2.38	5.00	0.82	5.82
सामान्य शिक्षा										
15. श्रेष्ठ तथा जरूरतमंद छात्रों के शिक्षा ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता	2202	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
16. जी.आई.सी., आदि के माध्यम से गरीबों के लिए बीमा योजनाएं										
16.01 झोंपड़ी बीमा योजना	2235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
17. नवम्बर 1984 दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण पर ब्याज राहत	2235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	1.16	1.16
18. सरकारी कर्मचारियों हेतु पेंशन निधि में अंशदान	2235	...	24.00	24.00	...	...	...	...	...	...
19. अन्य व्यय	2235	...	1.48	1.48	...	0.45	0.45	...	0.55	0.55
20. केंद्रीय सड़क निधि										
20.01 केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	401.00	...	401.00	401.00	...	401.00	710.81	...	710.81
20.02 मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहण के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान	3054	401.00	...	401.00	401.00	...	401.00	710.81	...	710.81
20.03 घटाइए-केन्द्रीय सड़क निधि से पूर्ति	3054	-401.00	...	-401.00	-401.00	...	-401.00	-710.81	...	-710.81
	जोड़	*401.00*	...	*401.00*	*401.00*	...	*401.00*	*710.81*	...	*710.81*
अन्य परिवहन सेवाएं										
21. लाभांश राहतों और अन्य रिआयतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता	3075	...	1362.16	1362.16	...	1333.00	1333.00	...	1476.00	1476.00
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
22. सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण का सृजन	3466	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
23. युद्ध-जोखिम (मेरिन-हल्स) पुनर्बीमा योजनाएं आदि	3475	...	0.50	0.50	...	0.04	0.04	...	0.50	0.50
24. आपात जोखिम बीमा निधि - अंतरण										
को	3475	...	9.35	9.35	...	16.20	16.20	...	15.86	15.86
से	3475	...	-0.50	-0.50	...	...	...	...	...	...
	निवल	...	*8.85*	*8.85*	...	*16.20*	*16.20*	...	*15.86*	*15.86*
25. भारतीय निवेश केन्द्र को अनुदान	3475	...	2.50	2.50	...	2.25	2.25	...	2.25	2.25
26. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3475	...	6.23	6.23	...	6.43	6.43	...	6.43	6.43

Website: http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
27. अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
28. आधारभूत ढांचा विकास के लिए सहायता	3475	100.00	...	100.00	23.50	...	23.50	100.00	...	100.00
	5475	1400.00	...	1400.00	250.00	...	250.00	1400.00	...	1400.00
	जोड़	*1500.00*	*...*	*1500.00*	*273.50*	*...*	*273.50*	*1500.00*	*...*	*1500.00*
29. अन्य व्यय	3475	...	9.11	9.11	...	8.03	8.03	...	10.38	10.38
30. ताजिकिस्तान को दी गई ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया देयों को माफ करना	3475	...	...	...	...	39.83	39.83	...	...	...
घटाइए-निवल प्राप्तियां	1475	...	...	...	...	-39.83	-39.83	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग										
31. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान	3605	...	22.93	22.93	...	21.08	21.08	...	22.93	22.93
32. अन्य देशों के साथ सहयोग	3605	...	15.31	15.31	...	15.18	15.18	...	15.18	15.18
33. विदेशी सरकारों को विकास सहायता										
(क) लाओस	7605	...	10.00	10.00	...	12.00	12.00	...	21.00	21.00
(ख) मारिशस	7605	...	40.00	40.00	...	35.00	35.00	...	32.00	32.00
(ग) म्यांमार	7605	...	8.62	8.62	...	82.00	82.00	...	37.00	37.00
(घ) श्रीलंका	7605	...	50.00	50.00	...	100.00	100.00	...	140.00	140.00
(ङ) वियतनाम	7605	...	6.00	6.00	...	...	...	...	...	...
(च) मध्य एशियाई गणतंत्र (कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किरगीज़स्तान और तुर्कमेनिस्तान)	7605	...	5.01	5.01	...	...	...	...	...	...
(छ) कम्बोडिया	7605	...	9.00	9.00	...	2.70	2.70	...	14.00	14.00
(ज) सूरीनाम	7605	...	14.13	14.13	...	40.00	40.00	...	11.00	11.00
	जोड़	*...*	*142.76*	*142.76*	*...*	*271.70*	*271.70*	*...*	*255.00*	*255.00*
34. विकास सहायता	3605	...	100.00	100.00	...	26.63	26.63	...	100.00	100.00
35. भारत की आकस्मिकता निधि में संचित निधि का वर्धन										
35.01 आकस्मिकता निधि का विनियोग										
35.02 समेकित निधि से विनियोग	7999	...	...	...	...	...	...	...	450.00	450.00
	8000	...	...	...	...	...	...	...	-450.00	-450.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***1901.00***	***1801.42***	***3702.42***	***676.46***	***1825.83***	***2502.29***	***2215.81***	***2031.91***	***4247.72***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सड़कें और पुल	13054	401.00	...	401.00	401.00	...	401.00	710.81	...	710.81
2. विविध सामान्य सेवाएं	32075	...	...	...	1.96	...	1.96	5.00	...	5.00
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	1500.00	...	1500.00	273.50	...	273.50	1500.00	...	1500.00
जोड़		**1901.00**	**...**	**1901.00**	**676.46**	**...**	**676.46**	**2215.81**	**...**	**2215.81**

1. इसमें आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. इसमें देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित राष्ट्रीय बचत संगठन के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

3. यह प्रावधान अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना के तहत ब्याज संदाय पर व्यय के लिए है। अनिवार्य जमा (आयकरदाता) अधिनियम, 1974, को 1.4.1996 से निरस्त कर दिया गया है और वापस न ली गई जमाराशियों पर उस तारीख से ब्याज लगना बंद हो जाएगा। यह प्रावधान 31.3.1996 तक वापस न ली गई जमाराशियों पर ब्याज संदाय के लिए है।

4. यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा न्यास निधि में भारत के अंशदान के लिए किया गया है।

5. इसमें मुख्यतः अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अदायगियों, प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अनियमितताओं की जांच हेतु गठित अभिरक्षक के कार्यालय तथा विशेष न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रेजीडेंट कार्यालय और भा.रि. बैंक को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान किया गया है।

6-9. यह प्रावधान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा 12वें वित्त आयोग के लिए है।

10. यह प्रावधान (सांकेतिक प्रावधान) बीमा विकास तथा विनियामक प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए है।

11. यह प्रावधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए है।

12. यह प्रावधान प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में आर.आर.टी. को भुगतान आदि के लिए है।

14. इसमें मियादी मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज संदायों और सरकारी खातों में जमा अस्वामिक प्रतिभूतियों, यू.एन.डी.पी. द्वारा वित्तपोषित आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान तथा एए एंड ए को विश्व बैंक अनुदान देने के संबंध में भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें यू.एन.डी.पी. सहायता के अंतर्गत सीसीएफ-II के लिए अम्ब्रैला स्पोर्ट प्रोजेक्ट के संबंध मे आयोजना प्रावधान भी शामिल है।

15. यह सांकेतिक प्रावधान श्रेष्ठ तथा जरूरतमंद छात्रों के शिक्षा ऋणों पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के लिए किया गया है।

16. यह प्रावधान साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा

निर्धनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न बीमा योजनाओं के लिए है। केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया है क्योंकि ये योजनाएं बंद कर दी गई हैं।

17. इसमें नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को उनके अपने सामान्य व्यवसाय में लगाने तथा अपने घरों की मरम्मत करने आदि में समर्थ बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज संबंधी राहत देने के लिए प्रावधान किया गया है।

18. यह प्रावधान सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि में अंशदान के लिए है। तथापि, सं.अ.-04-05 चरण पर, इस प्रावधान को इस मांग से अभ्यार्पित कर दिया गया है, क्योकि इस प्रयोजन के लिए प्रावधान को "पेंशन" मांग में शामिल किया जा चुका है।

19. यह प्रावधान संरक्षित बचत योजना के लिए है। इसमें भारत में पेंशन प्रणाली के सुधार हेतु संस्थागत क्षमता सृजित करने के लिए आईडीएफ अनुदान भी शामिल हैं।

20. पेट्रोल तथा डीजल पर लगाया गया उपकर केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मानव-रहित रेलवे क्रासिंग पर रेलवे उपरिसेतुओं/रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए आवंटित किया जा रहा है।

21. यह सामान्य राजस्व में से रेलवे को देय लाभांश राहत और अन्य रिआयतों के लिए आर्थिक सहायता का द्योतक है।

22. यह प्रावधान सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा प्रभाग के संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के सृजन हेतु विश्व बैंक अनुदान से जुड़े विश्व बैंक में अंशदान से संबंधित है।

23 और 24. विभिन्न जोखिम बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियमों को लोक खाते की आरक्षण निधि में अन्तरित कर दिया जाता है जिसमें से इन योजनाओं के व्यय को पूरा किया जाता है। ये लेन-देन भारतीय समेकित निधि के माध्यम से किए जाते हैं। व्यय का यह प्रावधान मुख्यतया युद्ध जोखिम (मेरीन हल्ज) पुनर्बीमा योजना के लिए है; इसमें आपात जोखिम (माल, कारखाने तथा उपक्रम) बीमा योजनाओं की बकाया देय राशि का निपटान भी शामिल है।

25. यह अनुदान सहायता भारतीय निवेश केन्द्र को अपने स्थापना व्यय पूरा करने के लिए दी जाती है।

26. इसमें एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता योजना के लिए और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।

27. अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

28. यह प्रावधान आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता देते हुए एक नए निधिपोषण तंत्र की व्यवस्था के लिए है।

29. इसमे न्यायालय परिसमापक के कार्यालय का व्यय, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण; वाशिंगटन और टोकियों में भारत के राजदूतावास के आर्थिक स्कंध पर व्यय; आर्थिक अध्ययन अनुसंधान के लिए संस्थाओं/संगठनों को अनुदान, गरीबों के लिए संरक्षित बचत योजना के बीमा संघटक आदि के व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

31 और 32. इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान और कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता और विश्व पर्यावरणीय सुविधा, जो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित एक प्रायोगिक कार्यक्रम है, को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को विश्व पर्यावरण का संरक्षण करने वाले उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता हेतु अनुदान अथवा रिआयती ऋण प्रदान किए जाएंगे।

33. इसके अंतर्गत मित्र विकासशील देशों को उदार शर्तों के आधार पर ऋण देने के लिए प्रावधान किया गया है।

34. यह प्रावधान भारत के व्यापार के समग्र, सामान्य व भावी विकास के लिए सहायता देने और अन्य देशों के साथ तकनीकी-आर्थिक और बौद्धिक सहयोग सुदृढ़ करने के लिए है।

35. यह प्रावधान भारत की आकस्मिकता निधि में संचित निधि को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने के लिए है।